रजिस्ट्री सं० डी० 221 REGISTERED No. D. 221

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 98] नई दिल्ली, बुधवार, मई 15, 1968/वैशाख 25, 1890

No. 98] NEW DELHI, WEDNESDAY, MAY 15, 1968/VAISAKHA 25, 1890

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

DEPARTMENT OF COMMUNICATIONS
(P. & T. Board)

NOTIFICATION

New Delhi, the 15th May 1968

G.S.R. 940.—In exercise of the powers conferred by section 7 of the Indian Telegraph Act, 1885 (13 of 1885), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Indian Telegraph Rules, 1951, as amended by the Notification of the Government of India in the Department of Communications (Posts and Telegraph Board) No. GSR 882 dated the 13th May, 1968, namely:—

1. (1) These rules may be called the Indian Telegraph (Fourth Amendment) Rules, 1968.

(2) They shall come into force at once.

2 In rule 8 of the Indian Telegraph Rules, 1951 (hereinafter referred to as the said rules), the word "Pakistan", shall be omitted.

3. In the proviso to rule 51 of the said rules, the word "Pakistan" shall be omitted.

4. In rule 60A of the said rules,—

(i) the words "Pakistan or" shall be omitted;

(ii) the heading "II.—For Delivery in Pakistan" and the entries occurring thereunder shall be omitted;

(iii) for the heading "III.—For delivery in Nepal", the heading "II.—For delivery in Nepal" shall be substituted.

5. In rule 76 of the said rules, in clause (ii), for the word "Pakistan", the word "Nepal" shall be substituted.

6. In rule 95 of the said rules, in sub-rule (i), for the word "Pakistan", the word "Nepal" shall be substituted.

7. In rule 111 of the said rules, for the word "Pakistan", the word "Nepal" shall be substituted.

8. In rule 133 of the said rules,—

(i) the heading "III.—For delivery in Pakistan" and the entries occurring thereunder shall be omitted;

(ii) for the heading "IV.—For delivery in Nepal", the heading "III.—For delivery in Nepal" shall be substituted.

9. In rule 143 of the said rules, for sub-rule (5), the following sub-rule shall be substituted, namely:—

"(5) The priority indications mentioned in sub-rule (1) shall operate in respect of telegrams to Ceylon and Nepal and in respect of foreign telegrams whilst within Indian limits".

10. In rule 164 of the said rules, in clauses (b), (f) and (g), the word "Indo-Pakistan" shall be omitted.

11. In rule 171 of the said rules, the word "Pakistan," shall be omitted.

[No. 2-4/68-R.]

K. N. R. PILLAI,
Member (T.D.),
& *Ex-Officio* Jt Secy.

संचार विभाग

(डाक-तार बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 15 मई, 1968

सामान्य सेवा नियम 941.—भारतीय तार अधिनियम 1885 (1885 का 13) की धारा 7 द्वारा प्रदत्त शक्ति के प्रयोग में, केन्द्रीय सरकार भारत सरकार के संचार विभाग (डाक-तार बोर्ड) की अधिसूचना क्रमसंख्या जी० एम० आर० 883 दिनांक 13 मई, 1968 द्वारा संशोधित भारतीय तार अधिनियम 1951 का फिर संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बना रही है, यथा :—

1. (1) इन नियमों को भारतीय तार (चतुर्थ संशोधन) नियमावली, 1968 कहा जाएगा।

(2) ये तत्काल लागू हो जाएंगे।

2. भारतीय तार नियमावली, 1951 (इसके बाद 'उक्त नियमावली' के नाम से उल्लिखित के नियम 8 में 'पाकिस्तान' शब्द को निकाल दिया जाएगा।

3. उक्त नियमावली के नियम 51 के उपबन्ध में 'पाकिस्तान' शब्द को निकाल दिया जाएगा ।

4. उक्त नियमावली के नियम 60-क में—

(i) "पाकिस्तान या" शब्द निकाल दिये जाएंगे ।

(ii) शीर्षक "II—पाकिस्तान में वितरण के लिए" और उसके नीचे दिये हुए इंदराज निकाल दिये जायेंगे ।

(iii) शीर्षक "III—नेपाल में वितरण के लिए" की एवज में शीर्षक "II—नेपाल में वितरण के लिए" रखा जाएगा ।

5. उक्त नियमावली के नियम 76 के खण्ड (ii) में "पाकिस्तान" शब्द की एवज में "नेपाल" शब्द रखा जाएगा ।

6. उक्त नियमावली के नियम 95 के उपनियम (i) में शब्द "पाकिस्तान" के लिए शब्द "नेपाल" को रखा जाएगा ।

7. उक्त नियमावली के नियम 111 में शब्द "पाकिस्तान" की एवज में शब्द "नेपाल" रखा जाएगा ।

8. उक्त नियमावली के नियम 133 में—

(1) शीर्षक "III—पाकिस्तान में वितरण के लिए" और उसके नीचे दिये हुए इंदराज निकाल दिये जायेंगे ।

(2) शीर्षक "IV—नेपाल में वितरण के लिए" की एवज में शीर्षक "III—नेपाल में वितरण के लिए" रखा जाएगा ।

9. उक्त नियमावली के नियम 143 में उप नियम (5) की एवज में निम्नलिखित उपनियम रखा जाएगा :—

"(5) उप नियम (1) में निर्दिष्ट प्राथमिकता के संकेत श्रीलंका और नेपाल को भेजे जाने वाले तारों के सम्बन्ध में लागू होंगे और विदेश तारों के सम्बन्ध में वे संकेत तब तक लागू होंगे जब तक कि वे भारतीय सीमा के अन्दर हों ।"

10. उक्त नियमावली के नियम 164 के खण्डों (ख), (च) और (छ) में शब्द "इंडो-पाकिस्तान" को निकाल दिया जाएगा ।

11. उक्त नियमावली के नियम 171 में शब्द "पाकिस्तान" को निकाल दिया जाएगा ।

[सं० 2-4/68-आर०]

के० एन० आर० पिल्लै,
सदस्य (दूर-संचार विकास),
और पदेन संयुक्त सचिव, भारत सरकार ।

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE MANAGER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1968